आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021–22/937 दिनांक– 08/09/2022

स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन की आक्षेपपूर्ति एवं अग्रेषित बावत

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना एवं विधवा/परित्यक्तयता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना वर्ष 2021–22 के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विद्यार्थियों/छात्राध्यापिकाओं से आक्षेप पूर्ति, महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड हेतु एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा आयुक्तालय को फारवर्ड हेतु छात्रवृति पोर्टल की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र. सं	योजना का नाम	छात्राओं को आक्षेप पूर्ति हेतु	महाविद्यालयों द्वारा जिला नोडल को फॉरवर्ड हेतु	जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा आयुक्तालय को फारवर्ड हेतु
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना वर्ष 2021–22 के विद्यार्थियों हेतु	13.09.2022 तक	16.09.2022 तक	जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा जांच हेतु 22.09.2022 तक
2	विधवा/परित्यक्तयता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना वर्ष 2021–22 की छात्राध्यापिकाओं हेतु	13.09.2022 तक	16.09.2022 तक	22.09.2022 तक

विद्यार्थियों/छात्राध्यापिकाओं को सूचित किया जाता है कि आक्षेप पूर्ति का यह अंतिम अवसर है, इसके उपरान्त उनके स्तर पर शेष रहे आवेदन निरस्त समझे जावेंगे।

संबंधित महाविद्यालय/जिला नोडल महाविद्यालय अपने स्तर से छात्राओं से दूरभाष पर सम्पर्क कर आक्षेप दूर करवाकर उन्हें ऑनलाइन फारवर्ड करवाने की कार्यवाही करें। यदि किसी भी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र विद्यार्थी/छात्राध्यापिका किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक–एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2021–22/938 दिनांक– 08/09/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx